बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/विविध स्पष्टीकरण (नवादा) 07–01/2024–..................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.........

श्री शिव शंकर राय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नवादा सदर, नवादा द्वारा ऑनलाईन दाखिल–खारिज के कतिपय मामलों (**कुल वाद–619**) को एक बार अस्वीकृत करने के पश्चात् उसी दस्तावेज पर पुनः स्वीकृत करने एवं बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 एवं बिहार दाखिल–खारिज नियमावली, 2012 के प्रावधानों का उल्लंघन करने जैसे प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–121(15), दिनांक–19.01.2024 द्वारा श्री राय से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में इनके द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–195 दिनांक–03.02.2024 से स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

श्री राय द्वारा कुल–619 मामलों में से मात्र 348 दाखिल–खारिज के मामले को वर्ष 2023–24 में एक बार अस्वीकृति के उपरान्त पुनः स्वीकृत किया गया जबकि मार्च, 2023 से सॉफ्टवेयर में एक ही खेसरा पर पूर्व में दायर वाद प्रदर्शित हो रहा है। इस स्तर पर श्री राय द्वारा लापरवाही एवं शिथिलता बरती गई है अथवा अपने निजी स्वार्थवश किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से यह कार्य किया गया। उक्त के आलोक में श्री राय का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

2. स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप उक्त आरोपों के आलोक में विभाग स्तर पर आरोप पत्र का गठन कर विभागीय पत्रांक–1089(15) दिनांक–24.06.2024 द्वारा श्री राय से लिखित अभिकथन/ स्पष्टीकरण की मांग की गयी। विभागीय पत्रांक–2537(15) दिनांक–27.12.2024, 346(15) दिनांक–11.03.2025 एवं पत्रांक–811(15) दिनांक–23.05.2025 द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण अबतक विभाग में समर्पित नहीं किया गया है। यह उच्च स्तर की अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता है जिसमें वृहद दंड की संभावना बनती है।

3. उक्त आरोपों के संदर्भ में विभाग स्तर पर गठित आरोप पत्र एवं आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में समीक्षोपरान्त् ऑनलाईन दाखिल–खारिज के कतिपय मामलों (कुल–348) को एक बार अस्वीकृत करने के पश्चात् उसी दस्तावेज पर पुनः स्वीकृत करने संबंधी आरोपों के संदर्भ में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राय के विरूद्ध गठित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, नवादा** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा सदर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री शिव शंकर राय से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति जिला पदाधिकारी, नवादा/ अपर समाहर्त्ता, नवादा /भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा सदर/श्री शिव शंकर राय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नवादा सदर, नवादा **सम्प्रति कार्यपालक दंडाधिकारी, बाढ़, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(जय सिंह),
सचिव।

D:\2025_Jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2025\shiv shanker rai_CO(Nawada sadar)2.doc

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/विविध स्पष्टीकरण (नवादा) 07–01/2024– 142 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–12/02/26

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, नवादा/अपर समाहर्त्ता, नवादा/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा सदर/श्री शिव शंकर राय, कार्यपालक दंडाधिकारी, बाढ़, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. समाहर्त्ता, नवादा से अनुरोध है कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को आरोप से संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

12/02/2026

(जय सिंह),
सचिव।